



हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
---------------------------------------	--

लहा इसी गरी पत्रावली वास्ते आदेश
दिनांक 24.2.25 को पेश हो।



21/01/25

02/25
1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
पत्रावली वास्ते आदेश दि. 28/02/25 को
पेश हो।


24/2/25

03/25
5/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राचीन उपस्थित।
प्राचीन की वल से परिपेश में पत्रावली का
अवलोकन किया गया। ग्राम दरमावदी की
वाडअल आरपी एल खाता 50 203 क्रि 01
रकबा 2.5846 ha, खाता 50 58 क्रि 4 रकबा
2.7822 ha में अपाधी क्रम 1 तैलाहे का मूल
हिल्ला 1/2 प्रथम हूरप प्राची क्रम 2 से 5 की
पैतृक संपत्ति वाहि होत है The Hindu Succession
Act 1956 के अनुषांग क्रम से ही हिल्ला
10-10 पर हुक व आधीना निहित है। आने
प्राचीन का कथन है कि अपाधी 1 उक्त पैतृक
भूमि का एक वार 2023 में बेचान कर चुका
है जो पारि नामा 805 दिनांक 05/7/2023 से
क्रि 4 खाते पर ही चुकी है जो (शेष भाग
के बेचान पर ही सामदा है) अतः सुविधा का
सुसंगत की प्राचीन के पक्ष में ही अपूर्वम
हानि की कारित से लगता है। अतः प्राचीन



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	<p> का प्रावधान U/S RT Act n.w. 0. 99 R1 22 CPC प्रांतीय रूप से लौकिक सिद्धांत है। प्राचीन क्रम 2 को पारित कर-आदि विधेय गैललामुसवाड इस आभार से पावड किया जाता है कि वह ग्राम करमावडी का वाउचर आरपी में आरपी 1 के हिसाब 1/2 में से आरपी/गिरी के Notional share 4/10 का कर रहे, बैचान, हान आदि नहीं करे / आरपी क्रम 3 ऐसे किले इलाक़े का पंजीपन नहीं करे। कावली गैललामुसवाड होकर नकल से वम होकर गैललामुसवाड के साथ सजाते हो। </p> <p style="text-align: right;">  05/3/2025 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला सलापुड (राज.) </p>

